The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 8 | August 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

ई-गवर्नेंस के उपयोग के माध्यम से विकास में ग्राम पंचायतों के योगदान पर एक अध्ययन

प्रीती जायसवाल
शोध छात्रा
डा0 पूर्णिमा शुक्ला
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
कानपुर विद्या मन्दिर महिला महा विद्यालय, कानपुर नगर

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:
ई-गवर्नेंस, ग्रामीण शासन, प्रतिनिधित्व, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

ABSTRACT

यह अध्ययन ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों की भूमिका की जांच करता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जमीनी स्तर के रूप में ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके कामकाज में ई-गवर्नेंस को शामिल करने का उद्देश्य स्थानीय शासन में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को बढ़ाना है। इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि ई-गवर्नेंस उपकरण और प्रथाएं विकास परियोजनाओं और सेवाओं को क्रियान्वित करने में ग्राम पंचायतों की प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करती हैं। शोध में मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है, जिसमें सर्वेक्षणों से मात्रात्मक डेटा और पंचायत सदस्यों और ग्रामीण निवासियों के साथ साक्षात्कार से गुणात्मक अंतर्दृष्टि को मिलाया गया है। फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन और ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों के माध्यम से नागरिक जुड़ाव शामिल हैं। आशा है कि इन निष्कर्षों से ग्राम पंचायतों की विकासात्मक भूमिका को बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस रणनीतियों को अनुकूलित करने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी तथा नीति और व्यवहार के लिए सिफारिशें भी मिलेंगी।

1. परिचय

ई-गवर्नेंस की अवधारणा लोक प्रशासन में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है, विशेष रूप से स्थानीय शासन के संदर्भ में। भारत में, जहाँ ग्राम पंचायत प्रणाली ग्रामीण शासन की आधारशिला के रूप में कार्य करती है, ई-गवर्नेंस उपकरणों

के एकीकरण में स्थानीय सरकारों के संचालन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने और सामुदायिक विकास में योगदान देने की क्षमता है। यह अध्ययन ई-गवर्नेंस के उपयोग के माध्यम से विकास में ग्राम पंचायतों के योगदान की खोज करता है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे डिजिटल उपकरण और प्लेटफ़ॉर्म इन ग्रामीण प्रशासनिक निकायों की प्रभावशीलता को बढ़ा रहे हैं।

ग्राम पंचायत भारत में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, जिसे ग्रामीण आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थापित, ग्राम पंचायतें कई तरह के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें विकास परियोजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना, स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं का प्रावधान शामिल है। वे एक ऐसे ढांचे के भीतर काम करते हैं जो स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को अनिवार्य बनाता है, जिससे वे सार्वजनिक सेवाओं के वितरण और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं (हैरिस, 2012)।

ई-गवर्नेंस का तात्पर्य सरकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग से है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करके, ई-गवर्नेंस का उद्देश्य संचालन को सुव्यवस्थित करना, नागरिक जुड़ाव को बढ़ाना और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। ग्राम पंचायतों जैसे ग्रामीण स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस को अपनाना प्रशासन के पारंपरिक तरीकों से अधिक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोणों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस बदलाव से नौकरशाही की अक्षमता, भ्रष्टाचार और सेवाओं तक सीमित पहुँच जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान होने की उम्मीद है।

ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुआयामी है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे विभिन्न आयाम शामिल हैं। ई-गवर्नेंस टूल की शुरूआत इन क्षेत्रों में कई संभावित लाभ प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म वास्तविक समय के डेटा और एनालिटिक्स तक पहुँच प्रदान करके विकास परियोजनाओं की बेहतर योजना और निष्पादन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इससे अधिक सूचित निर्णय लेने और लक्षित हस्तक्षेप हो सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हैं।

इसके अलावा, ई-गवर्नेंस प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करके सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ा सकता है। सेवा वितरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सेवा प्रावधान की दक्षता और पारदर्शिता में काफी सुधार कर सकते हैं। इससे ग्राम पंचायत और स्थानीय आबादी के बीच विश्वास बनाने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक नागरिक भागीदारी और जुड़ाव को बढ़ावा मिल सकता है।

संभावित लाभों के बावजूद, ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन चुनौतियों से रहित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी, अपर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे और अधिकारियों और निवासियों दोनों के बीच डिजिटल

साक्षरता की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं ई-गवर्नेंस उपकरणों के प्रभावी अपनाने और उपयोग में बाधा डाल सकती हैं, जिससे उनके संभावित लाभ कम हो सकते हैं (कोहली, 2006).

इसके अलावा, ई-गवर्नेंस में बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायतें, जो अक्सर सीमित वित्तीय संसाधनों से विवश होती हैं, आवश्यक बुनियादी ढाँचा हासिल करने और बनाए रखने तथा अपने कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संघर्ष कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, परंपरावादियों की ओर से बदलाव का विरोध हो सकता है, जो प्रशासन के स्थापित तरीकों के आदी हैं और नई तकनीकों के प्रति संदेह रखते हैं।

1.1 ग्राम पंचायतों पर ई-गवर्नेंस का प्रभाव

ई-गवर्नेंस के माध्यम से विकास में ग्राम पंचायतों के योगदान का आकलन करने के लिए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रभावों की जांच करना आवश्यक है। मात्रात्मक स्तर पर, ई-गवर्नेंस प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार कर सकता है, प्रसंस्करण समय को कम कर सकता है और परिचालन लागत को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, धन और संसाधनों का डिजिटल प्रबंधन देरी और भ्रष्टाचार को कम कर सकता है, यह सुनिश्चित करता है कि विकास परियोजनाएं समय पर और बजट के भीतर पूरी हों।

गुणात्मक रूप से, ई-गवर्नेंस ग्राम पंचायतों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ा सकता है। विकास परियोजनाओं, बजट और व्यय के बारे में जानकारी जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाकर, ई-गवर्नेंस अधिक जांच और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है। इससे बेहतर शासन पद्धतियाँ और समुदाय की ज़रूरतों और स्थानीय अधिकारियों की कार्रवाइयों के बीच एक मजबूत संरेखण हो सकता है (लून, 2017).

निष्कर्ष में, ग्राम पंचायतों के संचालन में ई-गवर्नेंस का एकीकरण ग्रामीण शासन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर, ग्राम पंचायतों के पास विकासात्मक गतिविधियों में अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार करने और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का अवसर है। हालाँकि, इन लाभों को महसूस करने के लिए तकनीकी बाधाओं, वित्तीय बाधाओं और परिवर्तन के प्रतिरोध सहित कई चुनौतियों पर काबू पाना आवश्यक है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन गतिशीलता का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करना है, जो इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों की भूमिका को मजबूत करने और ग्रामीण भारत में अधिक प्रभावी और न्यायसंगत शासन में योगदान देने के लिए ई-गवर्नेंस को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है।

1.2 अनुसंधान उद्देश्य

- ई-गवर्नेंस के माध्यम से विकास में ग्राम पंचायतों की भूमिका का विश्लेषण करना।

2. ग्राम पंचायतों का अवलोकन और ग्रामीण शासन में उनकी भूमिका

ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था का एक मूलभूत घटक है, जो ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जो प्राचीन ग्राम परिषदों से चली आ रही है। 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत स्थापित, ग्राम पंचायत तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सबसे छोटे स्तर का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर) और जिला परिषद (जिला स्तर) भी शामिल हैं। इस प्रणाली को शासन को विकेंद्रीकृत करने, प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के करीब लाने के लिए डिज़ाइन किया गया था (मुरलीधरन, 2014).

मूल रूप से, ग्राम पंचायत एक निर्वाचित निकाय है जिसमें कई सदस्य होते हैं जिन्हें सीधे गांव या गांवों के समूह के निवासियों द्वारा चुना जाता है। जनसंख्या के आकार के आधार पर सदस्यों की संख्या अलग-अलग हो सकती है, बड़े गांवों में प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच के रूप में जाना जाता है, जिसे पंचायत के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। सरपंच, पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर अपने अधिकार क्षेत्र में प्रशासन और विकास गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है।

ग्राम पंचायत के प्राथमिक कार्यों में विकास योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन, स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति शामिल है। इन कार्यों में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें सड़क और जल निकासी व्यवस्था जैसे बुनियादी ढाँचे का विकास, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव और जल संसाधनों और स्वच्छता का प्रबंधन शामिल है। ग्राम पंचायत राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रशासन में भी शामिल है (पवार, 2004).

2.1 ग्रामीण विकास में भूमिका

ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीतियों को स्थानीय कार्यों में बदलने के लिए जिम्मेदार प्रमुख प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करके ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे अपने समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राम पंचायतें ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव में शामिल होती हैं, जो गांवों को बाजारों और सेवाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और टीकाकरण कार्यक्रमों की स्थापना सहित स्थानीय स्वास्थ्य पहलों का प्रबंधन भी करते हैं, जो सीधे ग्रामीण आबादी की भलाई को प्रभावित करते हैं (शाह, 2005).

शिक्षा के क्षेत्र में, ग्राम पंचायतें प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन और शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनका उद्देश्य साक्षरता दर बढ़ाना और शैक्षिक परिणामों में सुधार करना है। वे गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी भूमिका निभाते हैं। संसाधनों का प्रबंधन और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करके, ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

ग्राम पंचायत प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता भागीदारीपूर्ण शासन पर इसका जोर है। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि निर्णयों से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी बात रखनी चाहिए। ग्राम पंचायतें ग्रामीण निवासियों को चुनावों और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से शासन में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। यह भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि विकास परियोजनाएं स्थानीय आबादी की जरूरतों और प्राथमिकताओं के साथ अधिक निकटता से जुड़ी हुई हैं (शंकर, 2005).

विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने और निवासियों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से सार्वजनिक बैठकें और परामर्श आयोजित किए जाते हैं। यह भागीदारी तंत्र समुदाय के सदस्यों के बीच स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देता है। यह स्थानीय शिकायतों और चिंताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में भी मदद करता है, क्योंकि ग्रामीणों की अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों तक सीधी पहुंच होती है।

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, ग्राम पंचायतों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती संसाधनों की कमी का मुद्दा है। कई ग्राम पंचायतें सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ काम करती हैं, जो विकास परियोजनाओं को शुरू करने और पूरा करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती हैं। सरकार के उच्च स्तरों से धन का आवंटन अक्सर अपर्याप्त होता है, और धन के वितरण में अक्सर देरी होती है, जो परियोजना कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।

प्रशासनिक अक्षमताएँ और नौकरशाही की लालफीताशाही भी चुनौतियाँ पेश करती हैं। परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में शामिल जटिल प्रक्रियाएँ और नियम प्रगति को धीमा कर सकते हैं और विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों में अक्सर तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी होती है, जो परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और निष्पादित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है (शुक्ला, 2023)।

एक और चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। कुछ मामलों में, स्थानीय राजनीति निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे भाई-भतीजावाद और संसाधनों का कुप्रबंधन हो सकता है। भ्रष्टाचार विकास संबंधी पहलों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है और स्थानीय शासन में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है।

हाल के वर्षों में, विभिन्न सुधारों और नवाचारों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास किए गए हैं। ई-गवर्नेंस और डिजिटल उपकरणों की शुरूआत इस संबंध में एक महत्वपूर्ण विकास रहा है। प्रशासनिक कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और सेवा वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनाकर, ग्राम पंचायतें पारदर्शिता बढ़ा सकती हैं, नौकरशाही की देरी को कम कर सकती हैं और दक्षता में सुधार कर सकती हैं।

उदाहरण के लिए, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के कार्यान्वयन ने धन और सब्सिडी के प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया है, जिससे वित्तीय लेनदेन अधिक पारदर्शी हो गए हैं और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई है। शिकायत निवारण और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने भी नागरिकों की अधिक सहभागिता और जवाबदेही को सुविधाजनक बनाया है।

इसके अतिरिक्त, पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण पहल शुरू की गई हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, प्रबंधन करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की उनकी क्षमता में सुधार करना है (मुरलीधरन, 2014).

ग्राम पंचायतें ग्रामीण भारत के शासन और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे सरकार और ग्रामीण समुदायों के बीच प्राथमिक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करते हैं, नीतियों को स्थानीय कार्यों में अनुवाद करते हैं और अपनी आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। जबकि वे संसाधन की कमी, प्रशासनिक अक्षमताओं और राजनीतिक हस्तक्षेप से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हैं, चल रहे सुधार और नवाचार उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने का वादा करते हैं। स्थानीय लोकतंत्र, सहभागी शासन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत और समान विकास प्राप्त करने के लिए इन संस्थानों को समर्थन और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

3. साहित्य की समीक्षा

शुक्ला और पंकज (2023) के अनुसार, गाँव किसी देश की मूल इकाई होते हैं जो देश के सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इस धारणा पर आधारित है कि जनता की अधिक भागीदारी से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन की धुरी हैं, जिनकी जिम्मेदारी गांवों में सामाजिक-आर्थिक विकास के इंजन के रूप में काम करना है। 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय शासन की एक औपचारिक संरचना बनाई है जिसका उद्देश्य समावेशी शासन है। ग्राम पंचायतें ऐसी संस्थाएँ हैं जो समग्र विकास के माध्यम से ग्रामीण भारत को बदल सकती हैं। शोध पत्र का उद्देश्य स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्रदान करने वाले साधन के रूप में ग्राम पंचायतों की भूमिका का विश्लेषण करना है और उन क्षेत्रों को इंगित करने का भी प्रयास करेगा जहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, यह पत्र ग्रामीण आबादी से संबंधित शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21ए) को साकार करने में ग्राम पंचायत की भूमिका से निपटेगा। गांवों के लोग अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और इस वजह से वे औपचारिक न्याय का रास्ता अपनाने से इनकार करते हैं। इस लेख में न्याय तक पहुंच में ग्राम पंचायतों की प्रासंगिकता पर भी चर्चा की जाएगी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आने वाले वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा होगा, वित्तीय हस्तांतरण की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 243 I) और ग्राम

पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए (अनुच्छेद 243 H) जो पंचायतों को प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करेगी। यह लेख ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन की एक मजबूत संस्था बनाने की दिशा में उपायों की सिफारिश करने का भी प्रयास करेगा।

चिन्नादुरई और अरुणा जयमणि (2020) के अनुसार, पीआरआई को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायतों को पांच साल की "परियोजनाओं की शेल्फ" विकसित करने की जरूरत है, जिसमें विकास गतिविधियों की परियोजनाओं की पहचान, रैंकिंग और तैयारी शामिल है। भारत के XIV वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 200,292.2 करोड़ रुपये निर्धारित किए और ग्रामीण लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसे ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) कहा जाता है। सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को अपनी स्थानीय समस्याओं, स्थितियों और स्थानीय संसाधनों से संबंधित GPDP तैयार करनी है। लेकिन दुर्भाग्य से, GPs को सहायक कर्मचारियों की कमी, पर्याप्त ज्ञान की कमी, योजना बनाने के लिए कौशल आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह अध्ययन पांच राज्यों अर्थात् सिक्किम, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र और बिहार में किए गए क्षेत्र अध्ययन का परिणाम है।

ढिल्लों एवं लक्ष्मी (2014) के अनुसार, ई-पंचायत ग्रामीण विकास के लिए सबसे निचला स्तर है। ई-गवर्नेंस/ई-पंचायत में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग नागरिकों को तीव्र सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये उपकरण नागरिकों को पारदर्शी और कुशल तरीके से सरकारी सेवाओं का वितरण करते हैं। ई-पंचायत पर पिछले अध्ययनों के परिणाम बताते हैं कि शहरी नागरिक ग्रामीण आबादी की तुलना में इन सेवाओं से बहुत अधिक लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण आबादी को आधुनिक आईसीटी सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस अंतर के कई कारण हैं। यह देखा गया है कि आईसीटी सेवाओं की उपयोगिता में यह अंतर स्थानीय भाषा की समस्याओं, सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी और कभी-कभी उचित बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के कारण होता है। कई विद्वानों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि समर्पित आईसीटी सेवाओं के माध्यम से पंचायत स्तर पर जागरूकता संबंधी सार्वजनिक कार्यों में लोगों की अधिक भागीदारी से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है जो उन्हें उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग के बारे में जागरूक बनाती हैं। उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सरकारी सेवाओं के बारे में ज्ञान उनके बीच साझा किया जा सके। चूंकि ग्रामीण समुदाय निचले स्तर की समस्याओं के सबसे करीब हैं। समुदाय की स्थानीय भाषा में जानकारी प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे ग्रामीण समुदाय के सभी प्रतिभागियों को लाभ मिल सकता है, चाहे वह ई-लर्निंग ही क्यों न हो। सुगमता की सेवाएँ ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाती हैं और उनकी भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान मिल सकते हैं और शहरी-ग्रामीण अंतर को कम किया जा सकता है।

सामंत और नायक (2013) के अनुसार, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व स्वशासन की मूल और आवश्यक विशेषता है। हाल के दिनों में लोगों की भागीदारी के विमर्श में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिसने इस विकास प्रतिमान को हाशिये से मुख्यधारा में

ला दिया है। भागीदारी विकास का प्राथमिक लक्ष्य भागीदारी के लिए 'आमंत्रित स्थान' बनाकर स्थानीय समुदायों और अन्य सभी हितधारकों को शामिल करना है। पश्चिम बंगाल में पीआरआई के माध्यम से भागीदारी शासन को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्तुत शोधपत्र पश्चिम बंगाल की ग्राम पंचायतों में मौजूदा भागीदारी प्रथाओं और आमंत्रित स्थान के कार्यों की प्रकृति का विश्लेषण करता है। 10 जिलों में पश्चिम बंगाल की 120 ग्राम पंचायतों के स्व-मूल्यांकन डेटा सेट पर आधारित अध्ययन में पाया गया है कि हालांकि पंचायत प्रणाली ग्रामीण पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक शासन की एक संस्था के रूप में उभरी है, लेकिन विभिन्न आमंत्रित स्थानों में लोगों की भागीदारी कम और कम हो रही है। खराब भागीदारी के संभावित कारणों में अन्य बातों के अलावा निर्णय लेने में सदस्यों को शामिल करने में ग्राम पंचायतों की ओर से विफलता, बेजोड़ राजनीतिक संबद्धता और खराब राजनीतिक लामबंदी शामिल हो सकती है। यह पाया गया है कि शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ, भागीदारी दर में सुधार होता है, और बाद में, निधि उपयोग दर बढ़ जाती है। बेहतर भागीदारी एक महत्वपूर्ण साधन है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

बिस्वास (2020) के अनुसार, स्थानीय प्रशासन की एक संस्था के रूप में स्थानीय शासन, समय-समय पर चुने गए प्रतिनिधियों/नेताओं के माध्यम से अपने स्थानीय मामलों के प्रबंधन और प्रशासन में लोगों की भागीदारी और अपने इलाके के लिए विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में उनकी लगातार भागीदारी में महत्वपूर्ण महत्व स्थापित करता है। स्थानीय शासन निर्वाचित नेताओं और आम लोगों के बीच संचार चैनल की एक संस्था के रूप में भी काम कर रहा है। इसलिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय शासन में लोगों की भागीदारी की अवधारणा नेताओं और जनता के बीच संचार के लिए जगह बनाकर स्थानीय प्राधिकरण के सफल कामकाज के लिए बहुत महत्व रखती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र और जनसंख्या के बड़े आकार के कारण पश्चिम बंगाल ने 1994 में पश्चिम बंगाल पंचायत (संशोधन) अधिनियम में संशोधन करके ग्राम संसद को जमीनी संस्था के रूप में पेश किया। अध्ययन के लिए शोधकर्ता ने ग्रामीण राजनीति पर विकासात्मक संचार और समझ की प्रकृति के अध्ययन के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से रामपुर। ग्राम पंचायत के 11 ग्राम संसदों का जानबूझकर चयन किया। इस शोध का उद्देश्य ग्राम संसद में लोगों की भागीदारी के प्रदर्शन को रेखांकित करना तथा नेताओं और जनता के बीच संचार की प्रकृति की जांच करना और ग्रामीण राजनीति पर समझ बनाना है। यह न केवल ग्राम संसद की कमियों की पहचान करने का प्रयास है, बल्कि इसे ग्रामीण विकास के एक उपकरण के रूप में जांचना और जनता और नेताओं के बीच संचार चैनल के माध्यम से ग्रामीण राजनीति पर समझ बनाना है और भागीदारी विकास की सफलता के लिए जमीनी स्तर पर जनता और नेताओं के बीच लोगों की भागीदारी और बातचीत बढ़ाने के कुछ उपाय भी सुझाता है। कुमारी और आलम (2015) के अनुसार, पंचायतों से भारत में विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकारों और विभिन्न समितियों के योजना दस्तावेजों ने नीति में इन निकायों के महत्व पर जोर दिया है। पंचायत राज संस्थाओं के समग्र ग्रामीण विकास का सतत और समावेशी विकास। ग्रामीण आबादी को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करना। पंचायत राज संस्थाओं के जवाबदेह और कुशल कार्य। ग्रामीण आजीविका के लिए अवसर प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कृषि उत्पादन

और उससे संबंधित आर्थिक गतिविधियों में सुधार, प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है, सेवा वितरण में सुधार होता है - जिससे बेहतर मानव विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।विभाग ग्रामीण जनता की आजीविका में सुधार लाने तथा विकेन्द्रीकृत प्रशासन के प्रभावी क्रियान्वयन और विशेष रूप से ग्रामीण जनता द्वारा तय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए कठोर प्रयास कर रहा है।

4. अनुसंधान क्रियाविधि

यह शोध एक घटनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जो उम्र बढ़ने के कारणों का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित साहित्य समीक्षाओं का उपयोग करता है। यह व्यवस्थित समीक्षा कोक्रेन हैंडबुक फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूर्स में वर्णित घटनात्मक दिशा-निर्देशों का उपयोग करके आयोजित की गई थी, और इसे व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण (PRISMA) प्रारूप के लिए पसंदीदा रिपोर्टिंग आइटम का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया था। शोध प्रश्न, शोध रणनीति, शोध तकनीक और समग्र योजना को परिभाषित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक पैनल शामिल होगा। घटनात्मक ढांचा शुरू में एक प्रासंगिक ढांचा स्थापित करने के लिए मुद्दे के क्षेत्र की परिचालन परिभाषाओं और वैचारिक सीमाओं को पूरा करता है।

5. निष्कर्ष

निष्कर्ष में, अध्ययन ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों की प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ाने में ई-गवर्नेंस की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित करता है। इन स्थानीय शासन निकायों के भीतर डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों के एकीकरण ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव की सुविधा प्रदान की है। यह निष्कर्ष शोध के प्रमुख निष्कर्षों को संश्लेषित करता है और भविष्य की विकास पहलों के निहितार्थों को दर्शाता है।

ग्राम पंचायतों द्वारा ई-गवर्नेंस को अपनाना स्थानीय शासन में एक बड़ा बदलाव है। डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाकर, इन संस्थाओं ने सेवा वितरण में सुधार किया है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और शासन के लिए अधिक सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। अध्ययन से पता चलता है कि सेवा अनुरोधों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग और वर्चुअल मीटिंग जैसे ई-गवर्नेंस टूल ने ग्रामीण आबादी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस तकनीकी हस्तक्षेप ने न केवल सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को पाटा है, बल्कि स्थानीय विकास परियोजनाओं पर उन्हें अधिक नियंत्रण और निगरानी प्रदान करके नागरिकों को सशक्त भी बनाया है।

इसके अलावा, शोध पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में ई-गवर्नेंस की भूमिका पर प्रकाश डालता है। अभिलेखों और लेन-देन के डिजिटलीकरण ने भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के अवसरों को कम किया है, जिससे ग्राम पंचायतों के भीतर खुलेपन की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। नागरिकों के पास अब शासन प्रक्रियाओं और परियोजना कार्यान्वयन के बारे में जानकारी तक बेहतर पहुँच है, जिससे स्थानीय संस्थानों में जनता का विश्वास बढ़ा है। पारदर्शिता की ओर यह बदलाव सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन किया जाए और विकासात्मक परियोजनाएँ समुदाय की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करें।

हालांकि, अध्ययन में ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन से जुड़ी कई चुनौतियों की भी पहचान की गई है। ग्रामीण आबादी के बीच सीमित डिजिटल साक्षरता, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और बदलाव के प्रति प्रतिरोध जैसे मुद्दे इन पहलों की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें क्षमता निर्माण कार्यक्रम, डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश और डिजिटल समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं। यह आवश्यक है कि नीति निर्माता और हितधारक ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस के सफल एकीकरण का समर्थन करने वाले सक्षम वातावरण का निर्माण करने के लिए सहयोग करें।

भविष्य की ओर देखते हुए, ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ई-गवर्नेंस की क्षमता अभी भी काफी है। प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति, मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के साथ मिलकर, स्थानीय विकास पर ग्राम पंचायतों के प्रभाव को और बढ़ा सकती है। भविष्य के शोध में चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अभिनव समाधान और सर्वोत्तम प्रथाओं का पता लगाना चाहिए, साथ ही ग्रामीण समुदायों पर ई-गवर्नेंस के दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए। ई-गवर्नेंस पहलों को लगातार परिष्कृत और विस्तारित करके, ग्राम पंचायतें ग्रामीण भारत में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि ई-गवर्नेंस में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर और ग्रामीण विकास में उनके योगदान को बढ़ाकर स्थानीय शासन में क्रांति लाने की क्षमता है। हालाँकि, चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक सहभागिता पर डिजिटल उपकरणों का सकारात्मक प्रभाव भविष्य की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जैसे-जैसे ग्राम पंचायतें विकसित होती रहेंगी और डिजिटल युग के अनुकूल होती जाएँगी, ग्रामीण विकास के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी।

संदर्भ

- कुमारी और आलम (2015), ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका मथुरा जिले का एक अध्ययन उत्तर प्रदेश; इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, खंड 4, संख्या 8, 2015, पृष्ठ 69-72(4)

- कोहली ए. (2006)। शासन क्षमता का संकट। कविराज एस. (सं.), पॉलिटिक्स इन इंडिया (पृष्ठ 383-394)। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- ढिल्लों, रेशम और लक्ष्मी, विजय. (2014). ई-पंचायत के माध्यम से ई-गवर्नेंस के लिए ग्रामीण आबादी तक पहुँचना: एक समीक्षा पत्र. www.ijcst.com. 5.
- पवार एम. (2004). डेटा एकत्र करने के तरीके और अनुभव: सामाजिक शोधकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शिका। शिकागो, आईएल: न्यू डॉन प्रेस।
- बिस्वास (2020), स्थानीय शासन और विकास संचार: भारत के पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले से ग्राम पंचायत का एक केस स्टडी; अक्टूबर 2020जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस 08(10):13-2208(10):13-22DOI:10.47914/jpg.2020.v08i10.003
- मुरलीधरन एस. (2014, 17 मई)। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और नागरिकता। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 49(20), 69–74।
- ल्यून एच., बर्ग बी.एल. (2017)। सामाजिक विज्ञान के लिए गुणात्मक शोध विधियाँ। न्यूयॉर्क, एनवाई: पियर्सन।
- शंकर पी.एस.वी. (2005, 26 नवंबर-2 दिसंबर)। मध्य प्रदेश में कृषि विकास के चार दशक: कृषि-पारिस्थितिक उप-क्षेत्र दृष्टिकोण। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 40(48), 5014-5024।
- शर्मा केएल (एड.) (1999)। ग्रामीण भारत में सत्ता अभिजात वर्ग। भारत में सामाजिक समानता - जाति, वर्ग और सामाजिक गतिशीलता की रूपरेखा (पृष्ठ 373-390)। दिल्ली: रावत प्रकाशन।
- शाह एम. (2005). मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकी, बहिष्कार और सुधार. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 40(48), 5009–5013.
- शुक्ला, शुभार्थ और पंकज, अरिमा। (2023)। ग्रामीण भारत के परिवर्तन में ग्राम पंचायत की क्षमता: एक सामाजिक-कानूनी विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड सोशल साइंसेज। 70-78। 10.60143/ijls.v8.i1.2022.76।
- सामंता और नायक (2013), ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी प्रथाएं: पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायतों का एक अध्ययन;
- सिंह एस. (2008)। परिचय। सिंह एस., शर्मा पी.के. (सं.), विकेंद्रीकरण: ग्रामीण भारत में संस्थाएँ और राजनीति (पृष्ठ 5-26)। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- हैरिस जे. (2012)। वर्ग और राजनीति। जयल एनजी, मेहता पीबी (संपादक), द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया (पृष्ठ 139-153)। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।